उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

F93531

पंजीकृत

संदर्भ संख्या /सी–1/वायु सहमति/1046/2016 दिनॉक– 04-1-17

सेवा में,

मै0 अरिहन्त इन्फा रियलटर्स प्रा0लि0,
ग्रुप हाउसिंग परियोजना "अरिहन्त आर्डेन"
प्लाट सं0– जी0एच0–07, सेक्टर–1, ग्रेटर
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अपने हेतु सहमति आवेदन पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त सशर्त सहमति आदेश संख्या 1046 सहमति (वायु) आदेश/ 615/16 दिनांक 04/11/16 को संलग्न किया जा रहा है।

1. सहमति में दिये गये शर्तो एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन एवम् रख–रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
3. फ्लू गैस उत्सर्जन तथा वायु अनुश्रवण आख्या प्रत्येक 06 माह में बोर्ड में प्रेषित की जाये।
4. उद्योग द्वारा प्रचलित समस्त पर्यावरण विधियों व अन्तर्गत प्रतिपादित नियमों आदि का पूर्णतया ससमय अनुपालन आवश्यक रूप से किया जायेगा।
5. यह सहमति वर्तमान में निर्मित कुल 14 टॉवर्स के कुल प्लाट एरिया 39400 वर्गमीटर तथा 148953.08 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल हेतु मान्य है।
6. परियोजना में स्थापित समस्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन व रख–रखाव समुचित रूप से किया जाये।
7. पी0एन0जी0 की उपलब्धता होने पर डी0जी0 सेट का प्रयोग यथासंभव गैस से किया जाये।
8. अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया जाये।
9. पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की अन्य संवेदनशील शर्तो का अनुपालन कर आख्या प्रेषित किया जाये।
10. परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत संस्था के माध्यम से किया जाये।

......2....

For Arihant Infrra Realtors Pvt. Ltd

Authorised Signatory

11.पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण स्वीकृति की अन्य संवेदनशील शर्तो का अनुपालन कर आख्या प्रेषित करें।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत) भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

(डा0 राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

संदर्भ संख्या– /वायु प्रदूषण/ तद दिनॉक–

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अधिकारी(प्रभारी), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

टण्डन/

For Arihant Infrra Realtors Pvt. Ltd

Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी.सी.–12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या 1046/सी–1/सहमति (वायु) आदेश/519/2016 लखनऊ, दिनॉक– 05/1/17

विषय : मैसर्स अरिहन्त इन्फ्रा रियलटर्स प्रा0लि0, ग्रुप हाउसिंग परियोजना "अरिहन्त आर्डेन" प्लाट सं0– जी0एच0–07, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ : आवेदन संख्या–

दिनॉक

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति मैसर्स अरिहन्त इन्फा रियलटर्स प्रा0लि0, ग्रुप हाउसिंग परियोजना "अरिहन्त आर्डेन" प्लाट सं0– जी0एच0–07, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 31/12/2017 की अवधि तक मान्य है।

3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत ।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

अनुलग्नक : संलग्नक ।
(सहमति शर्तें)

For Arihant Infra Realtors Pvt. Ltd

Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0 सी0–12 वी, विभूति खण्ड,
F93532 गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या /सी–1/सहमति जल/1185/2016 दिनॉक– 05.1.17

सेवा में,

मै0 अरिहन्त इन्फ्रा रियलटर्स प्रा0लि0,
ग्रुप हाउसिंग परियोजना "अरिहन्त आर्डेन"
प्लाट सं0–जी0एच0–07, सेक्टर–1,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त सशर्त सहमति आदेश पत्रॉक 4241/1 दिनॉक 4/1/17 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1 सहमति शर्तो तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।

2 जल सप्लाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर जल मापक मीटर की स्थापना किया जाये एवं रीडिंग प्रत्येक माह बोर्ड में प्रेषित किया जाये।

3 उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

4 उद्योग से जनित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोकपिट में किया जायेगा।

5 उद्योग द्वारा प्रचलित समस्त पर्यावरण विधियों के अंतर्गत प्रतिपादित नियमों आदि का पूर्णतया ससमय अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

6 यह सहमति वर्तमान में निर्मित कुल 14 टॉवर्स के कुल प्लाट एरिया 39400 वर्गमीटर तथा 148953.08 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल हेतु मान्य है।

7 उद्योग में स्थापित समस्त जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन व रख–रखाव समुचित रूप से किया जाये तथा संचालन सम्बन्धी लॉगबुक/उपयोगित कैमिकल्स इत्यादि व्यवस्थित किया जाये।

8 परियोजना द्वारा तीन माह के अन्दर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा एस0टी0पी0 में शोधित उत्पवाह की जल गुणता आख्या प्रेषित किया जाये।

9 परियोजना द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

........कृ0प0उ0/–

For Arihant Infrra Realtors Pvt. Ltd

Authorised Signatory

10 नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण, नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।

11 एस0टी0पी0 से जनित स्लज को खाद बनाने में प्रयोग किया जाये।

12 परियोजना द्वारा नवीनतम बैलेन्सशीट तीन माह के अन्दर प्रेषित किया जाये।

13 अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रस्तावित रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना किया जाये।

14 परियोजना का संचालन इस प्रकार किया जायेगा कि आस–पास के पर्यावरण एवं जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें।

15 पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण स्वीकृति की अन्य संवेदनशील शर्तों का अनुपालन कर आख्या प्रेषित करें।

16 परियोजना द्वारा उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो सके।

इस सहमति आदेश के अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

(डा0 राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

पृष्ठ संख्या– तद् दिनॉक–

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अधिकारी(प्रभारी), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

टण्डन/

For Arihant Infrra Realtors Pvt. Ltd

Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी सी – 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV
सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 1185 /सी–1/सहमति/जल आदेश/ 424 /2016 लखनऊ, दिनॉक– 06/1/17

विषय : मैसर्स अरिहन्त इन्फ्रा रियलटर्स प्रा0लि0, ग्रुप हाउसिंग परियोजना "अरिहन्त आर्डेन" प्लाट सं0– जी0एच0–07, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या–

दिनॉक :

1. जल राशि या (ड्रेन) में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै0 अरिहन्त इन्फ्रा रियलटर्स प्रा0लि0, ग्रुप हाउसिंग परियोजना "अरिहन्त आर्डेन" प्लाट सं0– जी0एच0–07, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा को उसके परिसर से निकलने वाले उसके औद्योगिक उत्प्रवाह को ई0टी0पी0 के माध्यम से सिंचाई/ड्रेन द्वारा सरिता/नदी में निस्तारित करने के लिए तथा घरेलू उत्प्रवाह को सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित करने हेतु अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनॉक 31/12/2017 तक की अवधि के लिए मान्य है।

1. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा–27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुन: विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।
(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1)

अनुलग्नक : संलग्नक ।

........2

For Arihant Infrra Realtors Pvt. Ltd

Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

संदर्भ संख्या F-36796 सी–1/एन/एन0ओ0सी0–924/2014 ||दिनांक 30-1-14

सेवा में,

मै0 अरिहन्त इंफ्रा रियलटर्स प्रा0 लि0,

601, छठा तल, प्लाट नं0–17, सचदेवा टावर,

क्म्युनिटी सेन्टर, कारकरडूमा, दिल्ली–110092

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/~~संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु~~ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा हैः–

(क) स्थलः– प्लाट नं0–जीएच–07, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।

(ख) उत्पादनः–प्रस्तावित 39400 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्डअप एरिया 148953.08 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण।

ग) मुख्य कच्चे मालः–बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्राः–शून्य

(ङ.) प्रयुक्त ईंधनः–625 केवीए के 06 डी0जी0सेट।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

For Arihant Infrra Realtors Pvt. Ltd

Authorised Signatory

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रत्येक माह की दसवीं तारीख़ तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 414 के0एल0डी0 से अधिक नहीं होगी। एस0टी0पी0 के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाये।

6. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 30.9.14 तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।

७– मै0 "अरिहन्त", प्लाट नं0–जीएच–07, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रस्तावित 39400 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्डअप एरिया 148953.08 वर्गमीटर पर आवासीय परियोजना किया जायें। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नही किया जायेगा।

८– संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार ४१४ के०एल०डी० घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पूर्ण क्षमता का एस०टी०पी० का निर्माण करें एवं शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई, ए०सी०, डी०जी० कूलिंग टावर मेकप के रूप में तथा फ्लसिंग हेतु प्रयोग किया जायें।

९– संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

१०– सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम०एस०डब्ल्यू० रूल्स २००० के प्राविधानों के अनुसार किया जायें।

११– समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रस्तावानुसार चिमनी भी स्थापित की जायें।

१२– म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जायें।

१३– संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१४– संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

For Arihant Infrra Realtors Pvt. Ltd

Authorised Signatory

मै० अरिहन्त इंफ्रा रियालटर्स प्रा.लि०,
ग्रेटर नोएडा

१५– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम,१९७४ एवं वायु अधिनियम,१९८१ के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

१६– मै0 "अरिहन्त", प्लाट नं0–जीएच–07, सेक्टर–1, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त किया जायें।

१७– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।

१८– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा० न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।

१९– उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिवोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नही डाला जायेगा।

२०– संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक– एफ–३४२२४/एन/एन०ओ०सी०–६२४/२०१३, दिनांक १८.१२.१३ का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.7.14 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0. एन0ओ0सी0 तद दिनांक

प्रतिलिपि : सहा0 पर्या0 अधिकारी(प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

वृत्त–1

For Arihant Infrra Realtors Pvt. Ltd

Authorised Signatory